

**वर्तमान समय में समावेशी विद्यालय में शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं दृष्टिकोण का अध्ययन****बनवारी लाल जैन एवं अशोक कुमार लखरे**

शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूँ

Email: Ashoklakhera1972@gmail.comReceived: 11th Dec. 2018, Revised: 22nd Dec. 2018, Accepted: 25th Dec. 2018**सारांश**

शैक्षिक समावेशन एक आधुनिक, सर्वकल्याणकारी, प्रजातांत्रिक तथा सर्वमनुसुचुखिन, सर्वसन्तुगिरामयः जैसे मानव मात्र के कल्याण से भरपूर भावनात्मक विचार है। शिक्षा में सभी लोगों को भागीदार बनाना तथा अनेक अल्पताओं के बावजूद बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। समाज के समीचरगों के बच्चों को जो कि समेकित असक्षम, अपवर्चित वर्ग के बच्चे तथा वे बच्चे जिन्हें किसी भी कारण जैसे शारीरिक न्यूनता, सामाजिक उद्देश्य, भौगोलिक वातावरण, लैंगिक भेदभाव, निवास की अस्थिरता, मानसिकन्यूनता, बौद्धिक अल्पता या अधिकता या इसी प्रकार के अनेक कारण हो सकते हैं, जिस से बालक शिक्षा प्राप्त करने में असहजता, असमायोजन व अवसर प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। उन्हें समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत रखा जाता है।

प्रस्तावना

सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक सशक्त साधन माना गया है इसीलिए किसी भी विकास शील देश के सन्दर्भ में प्रायः यह कहा जाता है कि उसका भाग्य कक्षाओं में निर्मित होता है, किन्तु कक्षा में छात्रों को सही सांचे में ढालने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे पढ़ाने वाले शिक्षक स्वयं इतने योग्य और कर्तव्य के प्रतिनिष्ठावान हो कि वे छात्रों में ऐसे गुण विकसित कर सकें कि इन भावी नागरिकों के द्वारा राष्ट्र निर्माण का कार्य सुचारु रूप से किया जा सके। समय के साथ-साथ शिक्षकों की भूमिका तथा कार्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं— जैसे शिक्षक की शैली या कक्षा में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक के सम्बन्ध परन्तु कुछ परिवर्तन अप्रत्यक्ष होते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शिक्षक के अपने सहयोगियों के साथ आंतरिक सम्बन्ध या विद्यालय के बाहर बाह्यसमुदाय के सदस्यों के साथ उसके सम्बन्ध, शिक्षकों का पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन आदि में बढ़ती सहभागिता आदि। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कुछ विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति सामान्य शिक्षा के द्वारा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के सन्दर्भ में यदि हम विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व इनकी स्थिति काफी दयनीय थी और ये सामाजिक मुख्य धारा से वंचित थे। ऐसे बच्चों को सामाजिक मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न नीतियाँ और अधिनियम बनाये गए। जिस से इनकी न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

वर्तमान में 'विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा की दो प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। एक वह जिन्हें हम विशिष्ट विद्यालय कहते हैं जो ज्यादातर शहरों में स्थित आवासीय है जिनका उद्देश्य केवल एक प्रकार के विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और दूसरा तरीका है कि उन्हें सभी बालकों के साथ आस-पड़ोस के सामान्य विद्यालयों में भेजा जाए और उनकी विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाय। यदि इस प्रकार के विद्यालय में बालक जाता है तो वह अपने अन्य भाई बहनों के साथ-साथ माँ बाप के साथ भी रह सकता है। दूसरा इस प्रकार के विद्यालय में सभी बालक एक दूसरे से मिल जुल कर एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसके अलावा बालक को बाद में अपने आपको समायोजित करने में सहायता मिलती है क्योंकि आखिर कार उसको रहना तो उसको उसी समाज में है जिसका कि वो हिस्सा होता है इसलिए क्यों न बालक को प्रारम्भ से ही उस माहौल में रखा जाए जहाँ उसे विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात रहना है? इसलिए अच्छा है कि आरम्भ से बालक को मुख्यधारा वाले ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाए जहाँ अन्य सामान्य बालक भी जाते हैं इस अवधारणा के साथ समावेशित शिक्षा व्यवस्था प्रणाली का आरम्भ हुआ समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य किसी भेदभाव के, एक साथ, एक ही विद्यालय में, सभी आवश्यक तकनीको व सामग्रियों के साथ उनकी सिखने सिखाने के जरूरतों को पूरा किया जा सके।

समावेशी शिक्षा का अर्थ

समावेशी शिक्षा का सम्प्रत्य सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु आया, क्योंकि समाज के किसी भी वर्ग जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी शामिल हैं, को छोड़कर इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इस अवधारणा की शुरुआत इस आधार पर हुई थी कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है तथा प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेषताएँ, रुचियाँ, योग्यताएँ तथा आवश्यकताएँ होती हैं, जिसका सम्मान होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा के लिए क्षमतागत विभेदीकरण किसी भी आधार पर तर्क संगत नहीं है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी ही शिक्षा प्रणाली है जो सभी विद्यार्थियों का स्वागत एक सामान्य कक्षा के अंतर्गत करती है। यह विविध बौद्धिक क्षमताओं और वैयक्तिक भिन्नताओं की अवधारणा पर आधारित है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है, विद्यालय के

